राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

परिशोधन (नजरसानी) प्रार्थना पत्र संख्या – 4/2011/श्रीगंगानगर

1. गोपाल पुत्र श्री नागरमल जाति अग्रवाल
2. महेश कुमार पुत्र श्री गोपाल जाति अग्रवाल
3. विकेश कुमार पुत्र श्री गोपाल जाति अग्रवाल
4. आदित्य पुत्र श्री महेश कुमार नाबालिग जरिये पिता श्री महेश कुमार जाति अग्रवाल

निवासीगण दुकान नं0 3, नई मण्डी, घड़साना, श्रीगंगानगर. .....प्रार्थीगण.

बनाम

1. राजस्थान सरकार.
2. सहायक स्थल अभियन्ता रीको लिमिटेड, श्रीगंगानगर. .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री जे. आर. सोलिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विजय सोनी, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/01/2014

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह परिशोधन (नजरसानी) प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के निगरानी संख्या 233/2006/श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 02.11.2010 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रीको द्वारा भूखण्ड संख्या एफ–23 व 24 औद्योगिक क्षेत्र घड़साना फेज प्रथम का लीज दस्तावेज दिनांक 21.3.90 को मैसर्स किशनपुरिया जिनिंग ऑयल एण्ड जनरल मिल्स के नाम निष्पादित किया गया। इसी प्रकार भूखण्ड संख्या एफ–25 का लीजडीड दस्तावेज मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के नाम दिनांक 14.3.91 को निष्पादित किया गया। तत्पश्चात भूखण्ड संख्या एफ–26 निलामी में मैसर्स किशनपुरिया उद्योग को विक्रय किये जाने पर रीको द्वारा भूखण्ड संख्या एफ–26 का विक्रय एग्रीमेन्ट मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के पक्ष में दिनांक 19.9.2000 को पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त दोनों फर्में पार्टनरशिप फर्में थी, जिनमें क्रमशः श्री गोपाल, श्री महेश अग्रवाल, श्री विकेश कुमार एवं मास्टर आदित्य (प्रार्थीगण) भागीदार थे। तत्पश्चात रीको द्वारा प्रार्थीगण के निष्पादित डिजोलेशन व अम्लगमेशन डीड दिनांक 15.1.2001 के आधार पर मैसर्स किशनपुरिया जिनिंग ऑयल एण्ड जनरल मिल्स के भूखण्ड संख्या 23 व 24 एवं मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के

लगातार.....2

भूखण्ड संख्या 25 व 26 को अर्थात् भूखण्ड संख्या एफ-23, 24, 25 व 26 को मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के नाम से सम्मिलित करने की स्वीकृति दिनांक 27.3.2001 को प्रदान करते हुए मैसर्स किशन उद्योग के नाम से प्रार्थीगण के पक्ष में लीज डीड दस्तावेज अवधि 21.5.1980 से 99 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 28.3.2001 को निष्पादित किया जाकर उप पंजीयक कार्यालय से दिनांक 29.3.2001 को पंजीबद्ध करवाया गया। महालेखाकार जांच दल द्वारा उक्त लीज डीड में अप्रार्थीगण की तीनों फर्मों का विलय होकर एक फर्म मैसर्स किशनपुरिया उद्योग को 99 वर्ष की शेष अवधि के लिये आवंटन किये जाने एवं तीनों फर्मों के विलयीकरण के पश्चात फर्म के साझेदारों में परिवर्तन होने तथा फर्म के स्वरूप में वैधानिक परिवर्तन होने से यह लीज दस्तावेज ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ एसाइनमेंट की श्रेणी में मानते हुए इसकी सम्पत्ति की रीको की आरक्षित दर से निर्धारित मालियत पर राजस्थान स्टाम्प लॉ (एडप्टेशन) एक्ट 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 63 के अन्तर्गत मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता का आक्षेप किया गया। महालेखाकार जांच दल के उक्त आक्षेप के अनुसरण में मुख्य लेखाधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर द्वारा दस्तावेज का सही वर्गीकरण करने एवं कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की वसूली की कार्रवाई हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 47सी(2ए) के तहत रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 23.11.2005 से रेफरेंस खारिज किये जाने के विरूद्ध राजस्व द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष निगरानी संख्या 233/2006/श्रीगंगानगर प्रस्तुत की गयी, जिसे माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ के आदेश दिनांक 02.11.2010 से इस आधार पर स्वीकार की गयी कि रेकॉर्ड पर दोनों इकाईयों के पार्टनरों के मध्य निष्पादित पार्टनरशीप डीड उपलब्ध नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि दोनों इकाईयों के भागीदार समान व्यक्ति थे।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह नजरसानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि मैसर्स किशनपुरिया जिनिंग ऑयल एण्ड जनरल मिल्स तथा मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के पार्टनर कॉमन व्यक्ति हैं तथा उक्त भागीदारों की पार्टनरशिप डीड रेकॉर्ड पर उपलब्ध है एवं नजरसानी प्रार्थना-पत्र के साथ भी प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त त्रुटि रेकॉर्ड पर परिलक्षित होने से आदेश दिनांक 02.11.2010 को संशोधित किया जावे।

प्रार्थीगण के नजरसानी प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार................3

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने नजरसानी प्रार्थना—पत्र में अंकित तर्कों को दोहराते हुए कथन किया कि मैसर्स किशनपुरिया जिनिंग ऑयल एण्ड जनरल मिल्स तथा मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के पार्टनर कॉमन व्यक्ति हैं तथा उक्त भागीदारों की पार्टनरशिपडीड रेकॉर्ड पर उपलब्ध थी, इसके बावजूद माननीय एकलपीठ ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए रीको द्वारा निष्पादित विवादित लीजडीड को ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में मानते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध मांग कायम किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उक्त त्रुटि रेकॉर्ड पर परिलक्षित होने से माननीय एकलपीठ का आदेश दिनांक 02.11.2010 निरस्त किया जाकर राजस्व की निगरानी अस्वीकार की जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के आदेश दिनांक 02.11.2010 का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। अग्रिम कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित किसी निर्णय में नजरसानी के प्रावधान नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना—पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावली एवं राजस्थान कर बोर्ड की निगरानी संख्या 233/2006 में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निर्णय दिनांक 02.11.2010 पारित किये जाने के समय मैसर्स किशनपुरिया जिनिंग ऑयल एण्ड जनरल मिल्स तथा मैसर्स किशनपुरिया उद्योग से सम्बन्धित पार्टनरशिप डीड रेकॉर्ड पर उपलब्ध थी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मैसर्स किशनपुरिया जिनिंग ऑयल एण्ड जनरल मिल्स तथा मैसर्स किशनपुरिया उद्योग के पार्टनर कॉमन व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति में माननीय समन्वयपीठ द्वारा पारित आदेश रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मुद्रांक अधिनियम/नियम में नजरसानी (परिशोधन) के कोई प्रावधान नहीं है, जिससे मुद्रांक अधिनियम के

लगातार.....4

तहत प्रस्तुत निगरानी में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ द्वारा सचेतन मन से पारित निर्णय में परिशोधन किया जा सके। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वयपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2010 रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
31/10/14